

कार्यालय मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक - अ.मु.अ (प्ला.)/अ.अ. एम एस&सी / परिपत्र / 2021-22 / डी- 2]

दिनांक

15/12/22

परिपत्र

सविवात्मक करार जो कि राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर द्वारा संवेदक के साथ किये जाते हैं उनमें मतभेद होने पर निर्णायक न्यायस्थ को भेजे जाने का प्रावधान रखा जाता है। माध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम 1996 में यणित माध्यस्थ (Arbitration) प्रक्रिया अत्यन्त खर्चीली है तथा माध्यस्थ (Arbitrator) द्वारा पारित अवार्ड को चुनौती देने के प्रावधान भी सीमित है जिससे राज्य के हित विपरीत रूप से प्रभावित होते हैं। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए महाविध्वक्ता माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मुख्य सचिव महोदय को उचित पत्र दिनांक 08.08.2019 से सविवात्मक करारों में माध्यस्थ क्लॉज को हटाने का अनुरोध दिया गया। महाविध्वक्ता ने वाणिज्यिक न्यायालय एक्ट 2016 की ओर भी ध्यान आकर्षित कराते हुए यह राय दी है कि वर्तमान में समस्त वाणिज्यिक मतभेदों को वाणिज्यिक न्यायालय से निर्णित कराया जाना राज्य हित में होगा।

महाविध्वक्ता के द्वारा दिये गये उक्त सुझावों के परिप्रेक्ष्य में माध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम 1996 एवं वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2016 के प्रावधानों के संदर्भ में प्रयोज्यता बावजूत राज्य सरकार द्वारा संवेदक से किये जाने वाले अनुबंधों में Deletion of Arbitration Clause के संबंध में प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित करने पर वित्त विभाग की वित्त (जी एण्ड टी) शाखा द्वारा PWF & AR में माध्यस्थ का प्रावधान नहीं होने का उल्लेख किया है।

तदनुसार निर्देशित किया जाता है कि चूंकि PWF & AR में माध्यस्थता का प्रावधान नहीं है अतः भविष्य में किये जाने वाले समस्त अनुबंधों में माध्यस्थ का क्लॉज नहीं रखा जाये। यदि किसी प्रकरण विशेष में माध्यस्थ क्लॉज रखा जाना आवश्यक हो तो ऐसे प्रकरण में वित्त विभाग की पूर्व अनुमति से ही माध्यस्थ करार रखा जाना वांछनीय होगा।

राज्य सरकार द्वारा संवेदक से किये जाने वाले अनुबंधों को सम्बन्ध में विवाद होने की स्थिति में वाणिज्यिक न्यायालय/सक्षम सिविल न्यायालय को निर्णय मान्य होगा, ऐसा प्रावधान अनुबंधों में रखा जाये।

15/12/2022
(सजीव माथुर)

मुख्य अभियंता (पथ/एन) अति सचिव
सा.नि.वि., राजस्थान, जयपुर

G/S / CFO
to be incorporated
in the SRD
16/3/22
ME
16/3/22

क्रमांक - अ.मु.अ (प्ला.)/अ.अ. एम एस&सी / परिपत्र / 2021-22 / डी- 2]

दिनांक - 07/03/2022

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
- 2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सा.नि.वि., शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, शासन सचिव, सा.नि.वि., शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
- 4 निजी सचिव, मुख्य अभियंता एवं अति शासन सचिव, सा.नि.वि., राजस्थान, जयपुर।
- 5 मुख्य अभियंता, पथ/भवन/एन-एव/गुणवत्ता नियंत्रण/पीएमजीएसवाई/विद्युत सा.नि.वि., राजस्थान।
- 6 प्रबंध निदेशक आरएनआरडीसी लिमिटेड जयपुर।
- 7 निजी सचिव, वित्तीय सहायकार, सा.नि.वि., जयपुर।
- 8 रायुक्त विधि परामर्शी, सा.नि.वि., जयपुर।
- 9 अनिरीकृत मुख्य अभियंता समस्त, सा.नि.वि., राजस्थान।
- 10 अपेक्षक अभियंता समस्त, सा.नि.वि., राजस्थान।
- 11 मुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी/खण्डिय लेखाधिकारी/खण्डीय लेखाकार (मुख्यालय/समस्त शाखा/वृत्त कार्यालय/खण्ड कार्यालय, सा.नि.वि., राजस्थान।
- 12 अधिकांश अभियंता समस्त, सा.नि.वि., राजस्थान।
- 13 रायुक्त निदेशक (सिस्टम ऐनालिस्ट) सा.नि.वि. को भिजवाकर लेख है कि उक्त परिपत्र को सा.नि.वि. की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।

15/12/2022
(सजीव माथुर)



Rajasthan State Road Development & Construction Corporation Ltd.

(Formerly RSBCC Ltd.)

(A GOVERNMENT OF RAJASTHAN UNDERTAKING)

CIN No. U45203RJ1979SGC001853

Regd. Office: Setu Bhawan, Opposite Jhalana Doongari, Jaipur-Agra Bypass, Jaipur-302004

Phone:0141-2711386-90

Fax:0141-2711178

E-mail:gm@rsrdc.com


Website: www.rsrdc.com

No. A-5(BPM)Enq./4/I/Gen/2021-22/24447-80

Date: 22-03-2022

Copy to:-

1. PS to GM/CPM/CFO, RSRDC Ltd., Jaipur.
2. Dy. General Manager, RSRDC Ltd.,(All)
3. Manager, RSRDC Ltd., Jaipur(All)
4. All Project Director, RSRDC Ltd.(All)


(Shyam Bihari Gupta)
Manager (Enquiry)